न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

विविध प्र0 सं0 2020/00145 (145/2020)

1. रूकमादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गोरधन
2. भंवरसिंह
3. मुखराम सिंह
4. समुन्द्रसिंह
5. प्रेमसिंह

} पुत्रगण स्व0 श्री गोरधन } जाति दरोगा निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

——प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र आदेश 47 नियम 1 व आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के प्र0 सं0 3/2013 अनवान राजस्थान राज्य बनाम गोरधन निर्णय दिनाक 7.03.2017

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

श्री राजेश कोशिक राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 13.09.21

1. उपखण्ड अधिकारी प्रार्थीगण रूकमादेवी आदि स्व0 गोरधन के वारिसान ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 व आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर विविध प्रकरण सं0 3/2013 "स्टेट बनाम गोरधन" में पारित आदेश दिनांक 07.03.2017 जो अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी पारित किया गया है, के पुनर्विलोकन हेतु दिनांक 11.11.2020 को प्रस्तुत किया है।प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि – गोरधन पुत्र भूरा जाति दरोगा को चक 24 डी डब्लयू डी के पत्थर नं0 158/415 के किला नं0 4 में 0.101 हैक्टे0 व किला नं0 5 में 0.177 हैक्टे0 कुल 0.278 हैक्टेयर भूमि स्माल पैच में दिनांक 20.02.2003 को आवंटित हुई थी। इस आवंटन आदेश के विरूद्ध राज्य पक्ष ने दिनांक 19.06.2009 को अपील सं0 30/2009 प्रस्तुत की। यह अपील मियाद बिन्दू को सुरक्षित रखते हुए दर्ज की गई व रेस्पोडेंट गोरधन की तलबी हेतु पत्रावली विचाराधीन रही। दिनांक 04.01.2010 को स्व0 गोरधन के पुत्र प्रेमसिंह ने लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि गोरधन की मृत्यु दिनांक 31.07.2008 को ही हो चुकी है तथा यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से कानूनन अबैट हो चुकी है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बावजूद भी अपीलांट की ओर से श्री प्रेम सिंह के प्रार्थना पत्र का ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया व ना ही विधि अनुसार स्व0 गोरधन के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गई तथा यह अपील लगभग 2 $^{1}/_{2}$ वर्ष तक लम्बित रही व अन्ततः दिनांक 09.08.2012 को अबेटमेंट पर बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 16.08.2012 के अन्तर्गत दोनों पक्षों की उपस्थिति में यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से अबैट होने पर खारिज की गई। इस प्रकार यह अपील दिनांक 16.08.2012 को खारिज होने पर इस निर्णय के विरूद्ध राज्य पक्ष की ओर से अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत न कर लगभग 8 माह बाद दिनांक 05.04.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया तथा इस प्रार्थना पत्र के नोटिस रेस्पोडेंट पर तामील होना मानकर यह प्रार्थना पत्र बिना किसी विवेचन के आदेश दिनांक 07.03.2017 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया। उक्त आदेश दिनांक 07.03.2017 का पुनर्विलोकन किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आदेश दिनांक 07.03.2017 को पुनर्विलोकित किये जाने हेतु मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मूल अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से अकृत ;छनससपजलद्ध थी तथा दिनांक 16.08.2012 को खारिज होने से अस्तित्व में नही रही। तत्पश्चात 8 माह बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

नियम 4 व 9 सी.पी.सी. संधारण योग्य नहीं था तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित नहीं हो सकतें थे, अपने इस तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत सी.सी.सी. 2017 (2) पृष्ठ 135, सी.सी.सी. 2017 (1) पृष्ठ 647 व सी.सी.सी. 2001 (2) पृष्ठ 9 प्रस्तुत किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार (राजस्व) रावतसर के पत्र कमांक 2264–65 दिनांक 19.10.2012 के आधार पर स्व0 गोरधन के वारिसान का पता चलते ही उन्हें अपील में फरीक बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र विधि सम्मत रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2017 को स्वीकार हो चुका है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा इस कारण पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. स्वीकृततः यह अपील दिनांक 19.06.2019 को मृतक रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत हुई तथा मृतक रेस्पोडेंट के पुत्र प्रेम सिंह द्वारा दिनांक 04.01.2010 को मृतक गोरधन की दिनांक 31.07.2008 को मृत्यु हो जाने की सूचना न्यायालय के समक्ष दे दिये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट ने मृतक गोरधन के स्थान पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु विधि अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की तथा दोनों पक्षो को सुनकर दिनांक 16.08.2012 को यह अपील खारिज की जा सकी थी। इस प्रकार यह अपील दिनांक 16.08.2012 के बाद अस्तित्व में ही नहीं रही। दिनांक 16.08.2012 के लगभग 8 माह पश्चात राज्य पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 (11) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 07.03.2017 को स्वीकार हुआ। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने उक्त प्रार्थना पत्र की पोषणीयता के संबधं में जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है उनमें प्रतिपादित सिंद्वान्तों के अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में उसके वारिसान को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधान लागु नहीं होते है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश दिनांक 07.03.2017 को पारित करने में विधिक त्रुटि सहज ही दृष्टव्य है तथा उक्त आदेश दिनांक 07.03.2017 जो विविध

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सं0 02/2013 में पारित किया गया है, का पूनर्विलोकन करते हुए अपास्त किया जाता है तथा इस प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की पुनः बहस सुनी गई।

7. अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9, (11) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 05.04.2013 को प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने मूल अपील सं0 30/2009 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2012 के अन्तर्गत अबेटमेंट को निरस्त कर मृतक रेस्पोडेंट के वारिसान को फरीक बनाये जाने का निवेदन किया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट ने ना तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है व ना ही अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब को माफ किये जाने हेतु कोई कारण दर्शित किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण रूकमा देवी आदि ने सर्वप्रथम यह विधिक आपत्ति उठाई है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान लागु नहीं होते व इसके अतिरिक्त यह अपील दिनांक 16.08.2012 को ही खारिज हो चुकी थी तथा लगभग 8 माह पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलान्ट को प्रेम सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2010 से ही मृतक गोरधन की अपील प्रस्तुत होने से पूर्व दिनांक 31.07.2008 को मृत्यु हो जाने की जानकारी हो चुकी थी तथा इसके बावजूद भी अपीलान्ट ने मृत रेस्पोडेंट के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु कोई कार्यवाही नही की व इस मौजूदा प्रार्थना पत्र में भी विलम्ब को माफ करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण विलम्ब के कारण भी यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, अपने इन तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2010 एनओसी 111 व एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 3043 व सीसीसी 2009 (3) पृष्ठ 441 एस.सी. प्रस्तुत की है तथा यह प्रार्थना पत्र गुणावगुणों व मियाद बिन्दू पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

8. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी. के प्रावधान लागु नहीं होते व इसके अतिरिक्त यह प्रार्थना पत्र मूल अपील खारिज होने के बाद लगभग 8 माह पश्चात प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलान्ट को मृतक रेस्पोडेंट गोरधन की मृत्यु अपील से पूर्व ही हो जाने की सूचना दिनांक 04.01.2010 को दी जा चुकी थी। यह प्रार्थना पत्र इस सूचना से भी 3 वर्ष 3 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है जबकि मियाद अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

के अनुच्छेद 120 व 121 के अनुसार ज्ञान की तिथि से अबेटमेंट को अपास्त करने की कुल समय सीमा 150 दिवस ही है। अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र सदोष विलम्ब से प्रस्तुत किया है तथा विलम्ब को माफ करने हेतु कोई संतोषजनक कारण भी प्रकट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2013 खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2013 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2003 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

9. आदेश आज दिनांक 15.07.21 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/7/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ आर.ए.एस
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested